

08⁰²/
2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।
पैरीकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो
जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया जो
दिया जाता है। पत्रावली वास्तु जवाब पैरीकार
सरकार दिनांक 12/03/2024 को पेश है।

S'D.O

12⁰³/
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीगण न्यायालय में
अनुपस्थित। वादीगण को न्यायालय द्वारा न्यायालय
समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर
आवाज लगाई गई। वातजूद वादीगण व वकील
वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय
में वाद-पत्र में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित
नही होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रायतभाटा (चित्तौड़गढ़)

